न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 163/2024

उनवान

तहसीलदार रामसर बनाम श्री हाजी दीनू पुत्र रूकनजाति मुसलमान निवासी होथीयाणीयों की बस्ती (देरासर) तहसील रामसर जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 18.05.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार रामसर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी समाप्त करनें एंव बेदखली बाबत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम होथियाणियों की बस्ती पटवार हल्का देरासर में सयुंक्त खातेदारी खसरा नंबर 610/358 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में श्री हाजी दीनू पुत्र रूकन जाति मुसलमान निवासी होथीयाणियों की बस्ती तहसील रामसर जिला बाड़मेर की पूर्ण हिस्सा खातेदारी स्थित है। पटवारी हल्का देरासर भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सियाणी द्वारा मौका निरीक्षण करते समय ध्यान में आया कि ग्राम होथियाणीयों की बस्ती के खातेदारी खसरा नंबर 610/358 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में श्री दीनू पुत्र श्री रूकन ने अपनी सम्पूर्ण भूमि रकबा 18700 वर्ग फीट भूमि मे बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के ईंट की फैक्ट्री संचालित कर कृषि भूमि का कृर्षि से गैर कृर्षि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा शर्तें भंग कर नियमों का उल्लंघन किया है। अतः खातेदार श्री हाजी दीनू पुत्र रूकन की खातेदारी कृर्षि भूमि खसरा नंबर 610/358 रकबा 0.6475 हैक्टेयर हिस्से मे से रकबा 18700 वर्गफीट भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर रकबा सरकार लिया जानें का निवेदन किया गया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी श्री दीनू पुत्र श्री रूकन को सम्मन जारी कर तलब किया जाकर दिनांक 18.05.2026 को न्यायालय में अपना जवाब रखनें हेतु तारीख मुकर्रर की गई। विप्रार्थी ने उपस्थित होकर लिखित मे जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त उपयोग में आ रही भूमि को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेश कमांक LC/2024-25/210809 दिनांक 24.01.2025 द्वारा गैर मुमकिन औद्योगिक प्रयोजन संपरिवर्तन कर दिया गया है व रोड़ के मध्य से 132 फीट के भीतर की भूमि को राजहक में समर्पण कर दिया गया है। उक्त संपरिवर्तित व समर्पित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जा चुका है।

चूंकि उक्त गैर कृषि उपयोग में आ रही भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुका है व रोड़ के मध्य बिंदु से 132 फीट के भीतर की भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दी गई है लिहाजा इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रहता है। तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि रोड़ के मध्य बिन्दु व संपरिवर्तित भूमि के मध्य स्थित राज्य सरकार समर्पित भूमि में किसी प्रकार का अवैध निर्माण है तो उसे तत्काल हटाया जाकर पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया गया।

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रामसर

Scanned with OKEN Scanner